डिक्री मूल वाद पत्र
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 24 / 2025

संदीप कुमार पुत्र श्रीचन्द जाति मेघवाल साकिन उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

वादी

ब ना म

1. श्रीचन्द पुत्र रामजस जाति मेघवाल साकिन उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

––प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

दिनांक :– 28/05/25

वादीगण की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री कमलेश कुमार अधिवक्ता व राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा इस वाद मे **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वाद निम्नानुसार घोषणा की जाती है:–

वादी को चक 42 एनडीआर–ए के खाता सं. 3/39 के प.नं. 70/341 (22) किला नं. 1 ता 21 की कुल 5.313 हैक्. कमांड अनकमांड खातेदारी में 1/8 हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही [illegible] कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.09 17:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा